न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

श्री हिरा पिता फूला डामोर बनाम श्री श्रीमती रमिला पत्नी भगवतीलाल खांट वगैरह

पत्रावली संख्या–48/2022

किस्म मुकदमा धारा 39 रूल 01 व 02 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी.

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनायें जारी की गई
	दिनांक 14.08.2024 को पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे की आराजी मौजा रास्तापाल में खसरा संख्या 4451, 4777, 4778 किता 03 रकबा 3.04 बीघा (2.5576 हैक्टेयर) भूमि होकर प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी की माता चम्पा पत्नी पूंजा की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी की माता ने अपने जीवनकाल में गांव के ही पडौसी अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर 60,000 रूपयों में उक्त वर्णित भूमि में से 02 बीघा भूमि का सौदा तय किया। अप्रार्थी भगवतीलाल को सौदे के अनुसार प्रार्थी की माता ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर विक्रय पत्र सम्पादित करने के दौरान अप्रार्थी भगवतीलाल ने छल कपट कर दिनांक 21.10.2005 को 02 बीघा के स्थान पर 3.04 बीघा का विक्रय पत्र सम्पादित करवा दिया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर अप्रार्थी को अवगत किया तो अप्रार्थी ने गलती होने की बात कहकर एक साल बाद समाज पंचों की उपस्थिति में स्टाम्प पर लिखावट कर आपसी राजीनामा किया और 1.04 बीघा भूमि की रजिस्ट्री वापस करने की लिखावट की। इसी दरमियान प्रार्थी की माता की मौत होने के बाद अब अप्रार्थी ने अधिक हुई रजिस्ट्री की भूमि को देने से इंकार कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी को अपने नाम नामान्तरण दर्ज कराकर अधिक कब्जे को लेकर परेशान किया जा रहा है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होकर रह गयी है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पावन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की मौजा रास्तापाल के खसरा नंबर 4451, 4777, 4778 किता 03 रकबा 3.04 बीघा में से 02 बीघा बेचान के बाद शेष प्रार्थी की कब्जेशुदा 01 बीघा भूमि को अप्रार्थीगण बेचान, बक्षीस, वसीयत एवं अन्य को हस्तांतरण नहीं करे। प्रार्थी को अपने कब्जे काश्त की आराजी में काश्त करने में रूकावट अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेंट, परिवार मजदूरों से करावें। अप्रार्थीगण के वकील ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी गयी। प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उसकी माता चम्पा पत्नी पूंजा ने अप्रार्थी सं. 01 को खसरा नंबर 4451, 4777, 4778 किता 03 रकबा 3.04 बीघा में से केवल 2.00 बीघा भूमि ही विक्रय की थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेज दिनांक 21.10.2005 के अनुसार प्रार्थी की माता ने 3.04 बीघा भूमि विक्रय की थी। जमाबंदी नकल ग्राम खरपेड़ा सवंत् 2075–78 खाता सं. 200 आराजी 4451, 4777, 4778 अप्रार्थी सं. 01 रमिला पत्नी भगवतीलाल के नाम दर्ज है। प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी खातेदार नहीं है नहीं उसका कोई हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा, खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा	

Scanned with OKEN Scanner